MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2018

No. 58/2018 – Central Tax

G.S.R.1070(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), read with section 45 of the said Act and rule 81 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the persons whose registration under the said Act has been cancelled by the proper officer on or before the 30th September, 2018, as the class of persons who shall furnish the final return in **FORM GSTR-10** of the said rules till the 31st December, 2018.

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2018

सं. 59/2018 - केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1071 (अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं0 832(अ), तारीख 4 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 40/2018-केंद्रीय कर, तारीख 4 सितंबर, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की अवधि के दौरान किसी छुटपुट काम करने वाले को भेजे गए माल या छुटपुट काम करने वाले से प्राप्त माल अथवा एक छुटपुट काम करने वाले से दूसरे छुटपुट काम करने वाले को भेजे गए माल के संबंध में, उक्त नियम के **प्ररूप जी.एस.टी.आई.टी.सी. 04** में घोषणा करने के लिए समय-सीमा को 31 दिसंबर, 2018 तक बढ़ाते हैं।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव